

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—48/2024 (2024/158) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 किशनदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 नेनुदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 बिहारीदास (फोट के बजाय) प्रदीपदास पिता बिहारीदास बैरागी नि. भटेवर तहसील रायपुर प्रार्थीगण

बनाम

- 1 कैलाशचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 कान्तीचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 रामेश्वरलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 रूकमण पत्नि नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 लक्ष्मणलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 गंगाबाई पुत्री हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 प्रेमबाई पुत्री हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 सत्यनारायण पिता हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9 हीरालाल पिता हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10 सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुरतहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. पूनमनाथ सपेरा—

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 07.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1853 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1854 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1855 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1856 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1857 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 1859 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1944 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1945 रकबा 0.18 है0 कुल कित्ता 10 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 111 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात

की पत्थरगद्दी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगद्दी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 01.04.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगद्दी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 13.06.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी संख्या 10, 11 फोरमल पक्षकार है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगद्दी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगद्दी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1853 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1854 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1855 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1856 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1857 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 1859 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1944 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1945 रकबा 0.18 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 111 पर दर्ज होकर रिथत है। जिसकी पत्थरगद्दी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगद्दी शुल्क-200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगद्दी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगद्दी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-दिव्यराज सिंह चुण्डावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-48/2024 (2024/158) प्रार्थना पत्र

अनवान

- 1 किशनदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 नेनुदास पिता उदेरामदास बैरागी निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 बिहारीदास (फोट के बजाय) प्रदीपदास पिता बिहारीदास बैरागी नि. भटेवर तहसील रायपुर प्रार्थीगण

बनाम

- 1 कैलाशचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2 कान्तीचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3 रामेश्वरलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4 रूकमण पति नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5 लक्ष्मणलाल पिता नाथुलाल ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6 गंगाबाई पुत्री हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7 प्रेमबाई पुत्री हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8 सत्यनारायण पिता हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 9 हीरालाल पिता हुक्मीचन्द ब्राह्मण निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 10 सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 11 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 07.08.2024 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम भटेवर पटवार हल्का सरेवड़ी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1853 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1854 रकबा 0.31 है0, आराजी संख्या 1855 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 1856 रकबा 0.29 है0, आराजी संख्या 1857 रकबा 0.53 है0, आराजी संख्या 1858 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 1859 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1860 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1944 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 1945 रकबा 0.18 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.89 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 111 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशमलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में देखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(दिव्यराजसिंह चुण्डावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा